भाग क

राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में स्थूल श्रणियों द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2001-2002 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2002-2003 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया हैं, के अनुसार क्रमश अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
I.	**कर राजस्व**			
	निगम कर	44200	39059	48616
	आय पर कर	40600	34438	42524
	व्यय-कर	330	300	300
	धन कर	145	145	145
	सीमा शुल्क	54822	43170	45193
	संघ उत्पाद शुल्क	81720	74520	91433
	सेवा कर	3600	3600	6026
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	382	496	513
	अन्य कर	850	965	1050
	जोड़-कर राजस्व	226649	196693	235800
	जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए अधिभार)	2000	1500	1600
	सकल कर राजस्व का शेष#	224649	195193	234200
	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	61618	52845	61235
	केन्द्र का निवल कर राजस्व	163031	142348	172965
II.	**कर-भिन्न राजस्व**			
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	57807	56092	60206
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	444	484	508
	अन्य कर-भिन्न राजस्व@	10463	13648	11426
	जोड़-कर-भिन्न राजस्व	68714	70224	72140
	निवल-केन्द्र का राजस्व*	231745	212572	245105

 # केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।